



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट बाली)

GCMS NO. 2025/626

—:आदेश:—

दिनांक 15/10/25

प्रार्थी श्रीमती सुंदरकंवर पत्नी सार्दुलसिंह जाति राजपूत निवासी बीजापुर तहसील बाली के तरमीम शुद्धि प्रार्थना पत्र एवं जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का भाटून्द की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 के अनुसरण में ग्राम भाटून्द पटवारी हल्का भाटून्द तहसील बाली के खसरा नंबर 1592 की माफिक रिपोर्ट पटवारी हल्का भाटून्द के अनुरूप नक्शे में तरमीम शुद्धि के आदेश दिये जाते हैं। पटवारी हल्का भाटून्द द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा व रिपोर्ट को आदेश का भाग माना जावे।

नोट :- उक्त आदेश से मूल रकबा में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा।



3
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी बाली एवं
पदेन सहा. कलक्टर, बाली
दिनांक

कमांक/कोर्ट/2025/

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. पटवारी हल्का भाटून्द को पालनार्थ।
3. प्रार्थी श्रीमती सुंदरकंवर पत्नी सार्दुलसिंह जाति राजपूत निवासी बीजापुर तहसील बाली को सूचनार्थ।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

2. पटवारी हल्का भाटून्द को पालनार्थ।

सेवा में

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
बाली

18
10.10.21

माफत :- श्रीमान ठिकर प्रभारी महो. ग्रामीण सेवा ठिकर
कम्प भाइन्द

विषय :- ग्राम भाइन्द के ख.न. 1592/1 रकबा 2.16 हेक्टर
की तरमीम शुद्धी की जांच रिपोर्ट प्रेषित करने
बाबत

महोदयजी


उपरोक्त विषयानुसंग निवेदन इस प्रकार है कि -
प्राथमिक सुन्दर कंवर के द्वारा प्राथमिक पत्र प्रस्तुत कर अपने
ख.न. 1592/1 रकबा 2.16 हेक्टर की नक्शे में धारित
रकबा अनुसार तरमीम नहीं होने से शुद्धी हेतु प्राथमिक
पत्र प्रस्तुत किया है जिसकी जांच रिपोर्ट निम्नानुसार
है।

① ग्राम भाइन्द के बराजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2076-79
अनुसार ख.न. 1592/1 रकबा 2.16 हेक्टर किल्ला B 5
प्राथमिक की खातेदारी भूमि है। जमाबन्दी खलम है।

② उक्त आराजी नम्बर की सेग्रीगेशन के दौरान Online
शीट में तरमीम हुई उक्त क्षेत्रफल 1.1017 हेक्टर की
बनता है जबकी इसी के मूल ख.न. 1592 का जमाबन्दी
में रकबा 1.53 है जबकी डिजिटाइज्ड खसरा शीट
में क्षेत्रफल 2.698 है। इस तरह से प्राथमिक की खातेदारी
में धारित रकबा से डिजिटाइज्ड शीट में 1.06 हेक्टर
की तरमीम कम हुई है (अवलोकनार्थ R.P.4 की इ.ड. से
प्राप्त तुलनात्मक रिपोर्ट खलम है)

③ इस प्रकार प्राथमिक की खातेदारी भूमि ख.न. 1592/1
की तरमीम निम्नानुसार सही करना उचित है।

अशुद्ध अंतरमीम



शुद्ध तरमीम
गमी.



इस प्रकार जायिदा के तरमीम शुद्धी उपरोक्तानुसार ~~किए~~
किये जाने की जांच रिपोर्ट अनंशसा सहीत प्रेषित की
जाए

27/10/28

भंवर सिंह
पटवारी (भू.अ.)
पटवार मण्डल...
तहसील - बाली (जिला-पाली)